अनुदान संख्या 79 – लोक सभा
GRANT No. 79 - LOK SABHA

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged -*		*1,30,00*	*31,75*	*-98,25*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*94,26*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल–	Original	809,80,00	809,81,00	559,47,67	-250,33,33
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				248,59,34

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

1. In the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2011"	Major Head "2011"				
संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	Parliament/State/Union Territory Legislatures				
मू.	O.	80980.00	56121.66	55947.67	-173.99
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-24859.34			

(I) ₹0.07 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹0.07 lakh remained wholly unutilized under two heads.

(II) "संसद" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under "Parliament" - savings occurred under the following heads: -

(का) "लोकसभा – सदस्य" – ₹10098.95 लाख की बचत (₹28729.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एमएसए अधिनियम संशोधन की वजह से सांसदों के वेतन में कटौती किए जाने, कोविड–19 की वजह से कम विदेश की यात्रा किए जाने एवं कम दौरे किए जाने तथा विदेशी प्रतिनिधि मंडल द्वारा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(खा) "लोक सभा सचिवालय – सचिवालय" – ₹14121.74 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹49441.31 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम्प्यूटर उपकरणों की खरीद से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने, सुरक्षा/सीसीटीवी परियोजनाओं का उन्नयन किए जाने और कोविड–19 महामारी की वजह से कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(III) ₹463.85 लाख की बचत एक शीर्ष के अंतर्गत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत थीं।

(A) "Lok Sabha - Members" - saving of ₹10098.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28729.30 lakhs) was due to reduction in salaries of MPs owing to amendment of MSA Act, less foreign visits and tours undertaken owing to COVID-19 and less visit of foreign delegations.

(B) "Lok Sabha Secretariat - Secretariat" - saving of ₹14121.74 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹49441.31 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2021) was due to requirement of less funds towards procurement of computer equipments, upgradation of security/CCTV projects and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(III) Under one head saving of ₹463.85 lakhs occurred constituting 30 percent of the sanctioned provision.